

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम .....

सहायक क्लर्क

(BDO) बायतु

पे 11 व 9 2 बनाम सुवा सिं वगेर

किस्म मुकदमा 20 आवेदन 111, 128 R.R. नु 34/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/10/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजेस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... को पेश हो।	
17/11/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाण नक्षकारान उपरिक्त। विवासीन ओध कारी दिनांक कार्यों में मिला है। मिसल इत्या होकर दिनांक 24/02/21 का पेश हों।	<p>विवासीन सहायक क्लर्क (BDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p>
24/02/21	प्रार्थी वकील उपरिक्त/ विप्रार्थी संख्या - 1 से 3 व 10 से 12 के नोटिस तामिल हुआ जका व विप्रार्थी संख्या - 4 से 9 व 13, 14 के नोटिस क्रम तामिल जाल जिसमें शामिल पत्रावली क्रमा 30/31/विप्रार्थी संख्या - 15 का नोटिस तामिल क्रम तामिल जाला। सामान पोदासन मिसल हु पद रिक्त होने से मिसल इत्या डोकर क्रमाधी दिनांक - 08/03/2021 के पेश हो।	

08/03/2021

पत्रावली पेश हई वकलाय परिकेन उपस्थित  
पीठाधीन अधिकारी का पद रिक्त है  
अतः पत्रावली इन्तवा राका दिनांक 05/04/2021  
डॉ. पेश सी/१

06/02/2021

05/04/2021

पत्रावली पेश हई वकलाय परिकेन उपस्थित  
पीठाधीन अधिकारी का पद रिक्त है  
अतः पत्रावली इन्तवा राका दिनांक 06/02/2021  
डॉ. पेश सी/१

06/07/2021

पत्रावली पेश हई वकलाय परिकेन उपस्थित  
पीठाधीन अधिकारी का पद रिक्त है  
अतः पत्रावली इन्तवा राका दिनांक 04/08/2021  
डॉ. पेश सी/१

04/08/2021

पत्रावली पेश हई वकलाय परिकेन उपस्थित  
पीठाधीन अधिकारी का पद रिक्त है  
अतः पत्रावली इन्तवा राका दिनांक 19/11/2021  
डॉ. पेश सी/१

19/11/2021

शर्मा वहीर उपदिपत / सीमा पीठा-  
लीन कृषिकारी प्रमाण जाँचो के संग अभिमान-  
2021 हेमो में व्यत्य होने के मिशाल इल्लका  
डोकर आगाफी दिनांक - 18/04/2022 डॉ. पेश सी/१

18/04/2022

शर्मा वहीर उपदिपत / सीमा पीठा  
कृषिकारी डिग्नर जाँचो में व्यत्य होने के मिशाल  
इल्लका डोकर आगाफी दिनांक 14/06/2022 डॉ. पेश सी/१

//

हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

4/06/2022

प्राथी व शील उपस्थित/ विपक्षीगण  
 संख्या - 1 से 3 व 10 से 12 के नोटिस पूर्व  
 में तामील हुआ प्रांत में चुके हैं जिन्होंने  
 मोट से कोई अधिकवक्ता या वे 200 में कोई  
 भी उपस्थित नहीं हुआ लिखा जा उनके विरुद्ध  
 एडवोकेट कार्रवाई अमल में लाई जाती है/  
 विपक्षी संख्या - 4 से 9 व 13, 14 के नोटिस  
 मय रजिस्ट्री अर्थात् प्राथी व शील द्वारा पूर्व  
 में पैदा विधे गये जितने जदिये रजिस्ट्री  
 एडी अडवाके गये जिनको 1 माह में अडिउ  
 का समय उपस्थित हो चुका है 1 माह  
 से अडिउ का समय उपस्थित होने के उपरान्त  
 भी विपक्षी संख्या - 4 से 9 व 13, 14 स्वयं  
 या उनकी मोट से कोई अधिकवक्ता उपस्थित  
 नहीं हुआ लिखा जा विपक्षीगण संख्या -  
 4 से 9 व 13, 14 के विरुद्ध एडवोकेट कार्रवाई  
 अमल में लाई जाती है प्राथी के अधिकवक्ता की  
 एडवोकेट वदल सुनी गई प्राथी के अधिकवक्ता  
 द्वारा बतलाया है प्राथी व विपक्षीगणों के  
 प्यानेटरी खेल सेठ साथे हुए है खेलों  
 के मध्य जो पुरानी मोठे व उठो साथे हुए  
 थे जो वर्तमान में आधिपतों से वजह से विरुद्ध  
 गये हैं जितने प्राथी को अपने खेल से  
 सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है  
 खेल की सीमाओं को लेकर प्राथी व विपक्षी  
 गणों के मध्य हमेशा तनाव बना रहता है  
 प्राथी को अपने खेल की सीमाओं का सही  
 ज्ञान करने हेतु नैयामबंदी इलवा 1/2022  
 ही इसलिए प्राथी का नैयामबंदी आवेदन  
 स्वीकार किया जाकर नैयामबंदी आवेदन  
 दावेदा विधा जावे। अतः प्राथी अडि-

सहायक कलेक्टर (SDO)  
 बायतु  
 जिला - मंडी

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नया  
अदालत  
हुक्म  
में जा

न्यायालय उपप  
क्रमांक : बा. 2022/279  
प्राथमिक  
1. प्रमक  
जि

वक्ता के निवेदन पर आर्ची का नैकाली  
निवेदन स्वीकार किया जाउर लम्बीलगा रिफ्ट  
को इमिग्रान्त नियुक्त किया जाउर कोश  
दिमा जाला है कि आप स्वयं या अपने  
अधिकृत किसी भी भूच समितिये निरिस्त  
से आर्ची के खालेदारी खेले की पक्की नैयम  
वन्ती मोडे पर इमिग्रान्त खुल्लु जमाउराउर  
है। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल  
पभावली है, पभावली जैमल खुमार मोडे  
दर नम्बर नै उम है, दाखिल दफतर है।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु  
जिला - बाड़मेर

राजस्थान-सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 979

दिनांक : 14/6/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. प्रेमकंवर पत्नी दानसिंह वगैरा 02,  
जाति राजपुत, निवासी कसुम्बला भाटियान,  
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान,  
तहसील गिडा (बाड़मेर)


1. रूघसिंह पुत्र भोपसिंह वगैरा 15,  
जाति राजपुत, निवासी कसुम्बला भाटियान,  
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान,  
तहसील गिडा (बाड़मेर)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 314 / 2020

### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - कसुम्बला भाटियान, पटवार मण्डल - कसुम्बला भाटियान, तहसील - गिडा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 262/141 रकबा 30 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला बाड़मेर

दिनांक :

क्रमांक : वाद / 2022 / 980-84

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री प्रेमकंवर पत्नी दानसिंह वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री रूघसिंह पुत्र भोपसिंह वगैरा 15,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाड़मेर